कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, आर.टी.आई. भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांकः 402/रा0सू0आ0/मु0सू0आ0/2026 दिनांकः 15 जून, 2026

आदेश

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किशन चन्द जैन बनाम भारत सरकार एवं अन्य रिट पिटिशन सं0–(सिविल) 360/2021 में दिये गये आदेश के अनुपालन में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा निर्गत पत्रांकः 23/रा0मु0सू0आ0/रा0सू0आ0/2023–24 दिनांक 27 अगस्त, 2024 के माध्यम से दिनांक 19.08.2024 के बाद से आफलाईन डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले द्वितीय अपील/शिकायत आवेदन पत्रों को आदेश दिनांक 11.07.2024 सपठित आदेश दिनांक 27.07.2024 के अनुक्रम में मा0 आयोग में द्वितीय अपील/शिकायतों को ऑफलाईन दाखिल करने पर (कुछ अपवादों को छोड़कर) पूर्णतः रोक लगा दी गयी थी।

उक्तानुसार मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था एवं उ0प्र0 शासन की पेपरलेस नीति को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि ऐसी पत्रावलियॉ/ वाद जो पूर्व में मा0 आयोग में प्रचलित ऑफलाइन व्यवस्था के तहत निस्तारित की गयी है, में यदि नवीन रीकॉल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो वह आयोग की अधिकारिक वेबसाईट www.upsic.up.gov.in पर दी गयी व्यवस्था के तहत ऑनलाइन रूप से दिनांक 17.06.2026 से नियमानुसार प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए आवेदन किया जायेगा। ऑफलाइन रूप से प्रेषित रीकॉल प्रार्थना पत्र आयोग में दिनांक 17.06.2026 से स्वीकार नहीं किये जायेगें।

15/6/26

(डॉ0 राजकुमार विश्वकर्मा)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
2. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
4. CATS डेवलपमेंट टीम को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आयोग की वेबसाइट पर उक्त व्यवस्था को लाइव करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की आयोग की पुराने साफ्टवेयर पर पूर्व रीकॉल व्यवस्था को पूर्णतः बन्द करते हुए तत्सम्बन्ध में आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

15/06/26

(संदीप गुप्ता)
रजिस्ट्रार